न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–127/2019

प्रार्थी:–

गोपालभाई पुत्र भूराजी जाति राजपुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया के खेत खसरा संख्या 1028,1135,1189,1286,1400,634 व 962 रकबा क्रमशः 1.7401,1.9182,1.8049,3.0108,0.9308,0.4289 व 1.8534 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी भूमि में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा दर्ज है इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की पैतृक भूमि है भूराराम के देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि का फौतदगी म्यूटेशन भरते समय भूराराम के वारिसान के नाम पर भूराराम के स्थान पर गोपालभाई दर्ज करना था जिस पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भरते वक्त सहवन से एक लिपिक त्रुटि स गोपालभाई क नाम गेबसिंह लिख दिया प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड,आधारकार्ड,पैनकार्ड,डाइविंग लाईसेन्स,बैंक डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम गोपालभाई दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में गोबसिंह नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एंव ऋण इत्यादि में भारी परेशानी रहती हैं गोपालभाई व गोबसिंह नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थी को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर "गोबसिंह" के स्थान पर गोपालभाई किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा था राशनकार्ड,आधारकार्ड,पैनकार्ड,डाइविंग लाईसेन्स,बैंक डायरी दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम गोपालभाई दर्ज हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया के खेत खसरा संख्या 1028,1135,1189,1286,1400,634 व 962 रकबा क्रमशः 1.7401,1.9182,1.8049,3.0108, 0.9308, 0.4289 व 1.8534 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "गोबसिंह " के स्थान पर " गोपालभाई" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested